कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट, जोधपुर, जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एकलखोरी, जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15259/2019 किरण रानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15259/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल या.सं. 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय की सेवानिवृति में 19 माह का समय शेष रहने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि सिवांची गेट, जोधपुर, जिला जोधपुर में यथावत रखे जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। **याचिकार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनके प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो। याचिकार्थी को जोधपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है। जोधपुर जिले में ही कार्यरत रहते हुए याचिकार्थी के पेंशन संबंधी परिलाभों को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी चूंकि उनकी सेवानिवृति में अभी 19 माह का समय शेष है। याचिकार्थी केवल मात्र शहर में ही पदस्थापित रहना चाहती है जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है।** राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया था। चूंकि श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है, अतः श्रीमती श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

एकलखोरी, जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 26.11.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/किरण/15259/2019 दिनांकः 18.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती किरण रानी श्रीवास्तव के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती किरण रानी श्रिवास्तव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)